

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6192-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ४ सन् २०१०

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. वृहद् शीर्षक का संशोधन.
४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का संशोधन.
६. धारा ३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१०

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. संक्षिप्त नाम.

२. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रोद्धारण का मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं. संशोधन.

३. मूल अधिनियम के वृहद् शीर्षक में, शब्द “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं. वृहद् शीर्षक का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं. धारा १ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ज) में, शब्द “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं. धारा २ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३ में,— धारा ३ का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१) में, शब्द “संस्कृत” के पश्चात्, शब्द “एवम् वैदिक” अंतःस्थापित किए जाएं;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संस्कृत भाषा को विकसित करने की दृष्टि से और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और उसके प्रसार के लिए महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) के अधीन उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है.

२. संस्कृत का प्राचीन स्वरूप भारतीय पुराणशास्त्र के वेदों में अंतर्विष्ट है. संस्कृत, वेदों की एकमात्र भाषा है. संस्कृत को सीखने और उसका ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वेदों को उनके मूल स्वरूप में जाना जाए. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में उपयुक्त संशोधन द्वारा शब्द “वैदिक” अंतःस्थापित किया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ९ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा

भारसाधक सदस्य.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1912-105-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 4 OF 2010

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.

MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 2010.

**MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2010.**

A Bill to amend Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-First Year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|--------------------------|--|
| Short title. | 1. This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. |
| Amendment of citation. | 2. In the citation of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008) (hereinafter referred to as the principal Act), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |
| Amendment of long title. | 3. In the long title of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |
| Amendment of Section 1. | 4. In Section 1 of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |
| Amendment of Section 2. | 5. In Section 2 of the Principal Act, in clause (h), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |
| Amendment of Section 3. | 6. In Section 3 of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted;

(ii) In sub-section (1), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to develop Sanskrit language and for advancement and dissemination of Knowledge in the field of Sanskrit Education, Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya is established in Ujjain under the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008).

2. Early form of Sanskrit contained in the Vedas of Indian mythology. Sanskrit is the sole language of Vedas. In order to learn and acquire the Knowledge of Sanskrit, it is necessary to learn the Vedas in their original form. Therefore, it is decided to insert the word "Vedic" in the short title of the Principal Act by suitable amendment.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 9th March, 2010.

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge.